

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

सं०-17/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.-16-17/2023, 7287/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-24.04.2026

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना" नियमावली, 2025 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित तिथि से स्तंभ-5 में अंकित वेतन स्तर में तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/कोटि क्रमांक/पदनाम/विभाग का नाम	जन्म तिथि/से०नि० तिथि	तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1	श्री अभय कुमार 352/24 तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी मत्स्य निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	08.01.1966 31.01.2026	05.01.2015	पी०बी०-2+ ग्रेड पे 5400/-

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारी के वेतन का निर्धारण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2025 में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।
3. उपर्युक्त के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

मंजूर 24.04.26
(मनीज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.-16-17/2023, 7287/सा0प्र0, पटना-15, दिनांक-24.4.2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मंजूर 24.04.26
सरकार के अवर सचिव।